रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240588
CG-DL-E-25112022-240588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
No. 760] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(सीएस.I अनुभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 851(अ).—वर्ष 2018 के लिए संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (श्रेणी ख/श्रेणी- I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए नियमों का उल्लेख करने वाली इस विभाग की दिनांक 09.11.2022 की अधिसूचना सं. 6/2/2022-सीएस. I(पी) भाग-I में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त नियमों के संलग्नक-V को इसके साथ संलग्न किए गए संलग्नक से प्रतिस्थापित किया जाता है और इसके बाद से इसे उक्त अधिसूचना में संलग्नक-V के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. 06/02/2022-सीएस. I(पी)-भाग I]

रजत कुमार, संयुक्त सचिव

संलग्नक – V

परिवचन

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री .... वचन देता/देती हूं कि मैं .... मंत्रालय/विभाग में .... के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन एवं शुद्धिपत्र/अनुशेष की सूची (उचित सूची का चयन करें) के क्रम सं. .... पर एसएसए की एसएल-2003 (विस्तारित सहित) में है:-

i. दिनांक 16.12.2011 का का.ज्ञा सं. 20/53/2008-सीएस. II(ख) खण्ड.II (केवल एसएल सं. 1966 के लिए)

ii. दिनांक 02.11.2015 का का.ज्ञा. सं. 12/5/2015-सीएस.II

iii. दिनांक 15.09.2017 का का.ज्ञा. सं. 12/6/2016-सीएस. II(ख) जिसके माध्यम से ओए सं.794/2015 में कैट के दिनांक 01.08.2016 के आदेश के आधार पर एसएल-2003 (विस्तारित) में 68 कार्मिक (जिन्होंने एसपी. यूडी ग्रेड एलडीसीई, 2012 उत्तीर्ण की) (प्रति संलग्न)

iv. दिनांक 27.04.2016 का का.ज्ञा. सं.19/04/2016-सीएस. II(ख) जिसके माध्यम से एसएसए एसएल-2003 (विस्तारित) में उनको शामिल करने हेतु यूपीएससी के दिनांक 31.03.2016 के पत्र सं. सी.18013/287-प्रशा.V (खण्ड) द्वारा सूचित अनुसार एसएल-1990 के 40 जेएसए की डीपीसी करवाने हेतु यूपीएससी से अनुरोध किया गया था (प्रति संलग्न)।

v. दिनांक 02 नवम्बर, 2015 को सं. 12/1/2011-सीएस.II(ख) के माध्यम से जारी शुद्धिपत्र/अनुशेष का संलग्नक- II (संशोधित) (प्रति संलग्न)।

2. मैं यह जानता/जानती हूं कि चयन सूची 2003 (विस्तारित) में वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की वरीयता का मामला रिट याचिका सं. 8616/2019 और 8454/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.12.2015 की स्थिति के अनुसार याचिका-कर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने संबंधी माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को यथापूर्व स्थिति के अनुसार बनाए रखने का निदेश दिया है। उपरोक्त निदेश के अनुसार, दिनांक 02.11.2015 को अधिसूचित चयन सूची-2003 (विस्तारित) में आने वाले वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की स्थिति दिनांक 23.12.2015 को भी समान बनाए रखनी अपेक्षित है। चूंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदकों द्वारा दर्ज ओए सं. 4700/2015 और 639/2016 द्वारा उठाए गए मामले में अपना अंतिम निर्णय अभी तक नहीं दिया है, इसलिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2013 से आगे की चयन सूची तैयार नहीं की गई है।

3. मैं यह समझता हूं कि सहायक अनुभाग अधिकारियों की वर्ष 2013 (भाग II) के बाद की चयन सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः 2018 के बाद से अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी रुक गया है। मैं यह भी समझता हूं कि काफी संख्या में सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड से पदोन्नत होकर तदर्थ आधार पर कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारियों सहित, से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सरकार ने, उपरोक्त मुकदमों के बावजूद चयन सूची, 2003 (केवल सीएसएल सं. 1966 के लिए) और चयन सूची, 2003 (विस्तारित) के सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को पूर्णतया अस्थायी आधार पर अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करते हुए 2018 के लिए अनुभाग अधिकारी हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

i. चयन सूची-2003 (विस्तारित) हेतु वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की सामान्य वरीयता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक तथा तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा-1 में लंबित रिट याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के आधार पर 2013 (भाग II) से आगे के वर्षों के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान के उपरांत दाखिल किसी अन्य न्यायालयी मामले के आधार पर भी, परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी पात्रता/चयन के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ii. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा(ओं) के अंतिम परिणाम की घोषणा, वर्ष 2013 (भाग II) के लिए सहायक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात परीक्षा में उनके प्रवेश की अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण होने के पश्चात की जाएगी, जो लंबित रिट याचिकाओं पर दिए गए निर्णय के परिणाम के बाद किया जाएगा।

iii. यह कि, उपर्युक्त लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उपरांत वर्ष 2013 (भाग II) के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची वरीयता कोटा के तहत तैयार की जाएगी और तद्नुसार, जिन अधिकारियों के नाम सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची-2013 (भाग II) में होंगे और जो वर्ष 2018 की अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अर्हक होंगे, उनके चयन को मान्य माना जाएगा।

iv. अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम की घोषणा, दिनांक 12.04.2002 के का.ज्ञा. सं. 36012/16/2019-स्था.(आरक्षण) के पैरा 5 के अनुसार जरनैल सिंह बैच के मामलों के अध्यधीन भी है।

4. उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने तथा उन शर्तों को समझने पर जिनके तहत मुझे अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में प्रवेश लेने की अनुमति दी जा रही है, मैं एतद्द्वारा यह स्वीकार करता हूं कि अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के लिए मेरी उम्मीदवारी पूर्णतया अस्थायी है और उपरोक्त सभी शर्तों को मानने का वचन देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)______________

पदनाम________________________

मंत्रालय/विभाग__________________

मोबाइल नंबर___________________

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(CS.I DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th November, 2022

G.S.R. 851(E).—In partial modification of this Department's Notification No. 6/2/2022-CS.I (P) Part-I dated 09.11.2022 conveying the rules for the Combined Section Officers'/Stenographers' (Grade 'B'/ Grade- 'I') Limited Departmental Competitive Examination for the year 2018, it is hereby conveyed that Annexure-V of the said Rules is substituted with the Annexure enclosed herewith and it shall be treated as Annexure-V of the said Notification now onwards.

[F. No. 06/02/2022-CS.l(P)-Part 1]

RAJAT KUMAR, Jt. Secy.

ANNEXURE-V

UNDERTAKING

I, Shri/Mrs/Ms. ____________ undertake that I am working as in the Min/Dept. of _________________. I belong to SL-2003(including extended) of SSA at Sr. No.___________ of the lists of O.M. and Corrigendum/Addendum mentioned below (tick the appropriate list):-

i. O.M. No. 20/53/2008-CS.II(B) Vol.II dated 16.12.2011(for SL No. 1966 only).

ii. O.M. No. 12/5/2015-CS.II dated 02.11.2015.

iii. O.M. No. 12/6/2016-CS.II(B) dated 15.09.2017 vide which 68 officials (who had qualified Sp. UD Grade LDCE, 2012) in SL-2003(Extended) on the basis of the order of Ld. CAT dated 01.08.2016 in OA No. 794/2015. (copy enclosed).

iv. O.M. No. 19/4/2016-CS.II(B) dated 27.04.2016 vide which UPSC was requested to conduct DPC of the 40 JSAs of SL-1990 intimated by UPSC vide letter No. C.18013/287-Admn.V(Pt.) dated 31.03.2016 for their inclusion in the SSA SL-2003(Extended). (copy enclosed).

v. Annexure-II(Revised) of the Corrigendum/Addendum issued vide No. 12/1/2011-CS.II(B) (Vol.II) dated 2nd November, 2015 (copy enclosed).

2. I understand that the issue of seniority of SSAs of 2003 (Extended) is under challenge in WP Nos. 8616/2019 and 8454/2019 in the Hon'ble High court of Delhi, where the Hon'ble Delhi High Court has directed to maintain status quo as granted by the Ld. CAT regarding non-alteration of the position of the petitioners as on date (23.12.2015). As per the above direction, the position of the SSAs belonging to SL-2003 (Extended) notified on 02.11.2015 is required to be maintained as on 23.12.2015. As the Hon'ble High Court of Delhi has not yet delivered its final judgement on the issue raised by the applicants in OA No. 4700/2015 and 639/2016, preparation of Select List of ASO Grade for 2013 onwards are pending.

3. I do understand that pending finalisation of Select List of ASOs for 2013 (Part-II) onwards, the SOs'/Stenos' Limited Departmental Competition Examination for 2018 onwards has been held up. I do further understand that consequent upon representation from a large number of ASOs including those working as ad-hoc ASOs after promotion from SSA grade, the Government despite the above-mentioned litigations, has decided to conduct the LDCE for SO for 2018 by allowing all the SSAs belonging to Select List 2003 (for CSL No. 1966 only) and SL-2003 (Extended) to appear the SOs'/Stenos' LDCE 2018 purely on provisional basis subject to the following conditions:

i. That Appearing in the examination shall not confer any right on the candidates to consider his/her eligibility/selection in the examination till finalization of Common Seniority List of SSA Grade for SL-2003 (Extended) and subsequently the Select list, 2013 (Part-II) onwards based on the final decision on the pending WPs mentioned in para-1 above and also in any other court case filed subsequently after final disposal of the WP by the Hon'ble High Court of Delhi.

ii. That final results of the examination(s) conducted by UPSC shall be declared subject to determination of final eligibility to appear in the examination after finalization of the select list of ASOs for 2013 (Part-II), which will be finalized after the outcome of the decision on the above WPs.

iii. That after the final outcome on the above-mentioned WPs the Select List of ASO Grade for 2013 (Part-II) under seniority quota will be prepared and accordingly the officials who would have figured in the ASO SL-2013 (Part-II) and qualified SOs'/Stenos' LDCE for 2018, their selection would be considered as valid.

iv. That the declaration of the results of the SOs'/Stenos' LDCE, 2018 are also subject to outcome of the Jarnail Singh batch of cases as per para 5 of the O.M. No. 36012/16/2019-Estt.(Res.) dated 12.04.2022.

4. Having gone the above facts and understanding the conditions under which I am being allowed to appear in SOs'/Stenos' LDCE, 2018, I do hereby agree that my candidature for the SOs'/Stenos' LDCE, 2018 is purely provisional and undertake to abide by all the above conditions.

Signature

Name (in block letter)__________

Designation__________________

Min./Dept.___________________

Mob No._____________________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.25 22:45:35 +05'30'